मुजफ्फरपुर में नियुक्त डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

6833. श्री क० मि० मधुकर :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग मुजफरपुर (बिहार) में लगभग एक हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के लिये वहां क्वार्टर की कोई भी व्यवस्था नहीं है; और

(ग) क्या मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन है और यदि हां, तो कर्मचारियों के लिये क्वार्टर न बनाने के क्या कारण हैं ?

संचार-कार्य तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) मुजफ्फरपुर में 825 कर्मचारी नियुक्त हैं।

(ख) जी नहीं। प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के लिए तेरह क्वार्टर उपलब्ध हैं, जबकि प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के लिए केवल एक क्वार्टर है।

(ग) कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के उद्देश्य से एक प्लाट अधिग्रहण किया जा रहा है। जमीन का अधिग्रहण हो जाने पर क्वार्टर बनाये जायेंगे, बशर्ते कि उनके लिएं फंड उपलब्ध हों ।

Extra Allowances for Manipur Employees

6834. **Shri M. Meghachandra:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether the employees of the Government of Manipur working in the disturbed areas of the Union Territory are being provided with extra allowances in view of their employment in difficult circumstances; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The pay and allowances of the employees of the Government of Manipur are based on the Assam pattern. The question of grant of some *ad-hoc* allowance on the Assam pattern to the employees serving in hill areas of Manipur is being examined.

मद्य निषेध

6835. श्री भगवन्त सिंह कुशवाह :
श्री आत्म दास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री स्वरूप सिंह शास्त्री :
डा० सुर्य प्रकाश पुरी :
श्री रामगोपाल शाल वाले :
श्री नायनार :
श्री राणे :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ राज्यों ने मद्य निषेध को हटाने का निश्चय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ अन्य राज्य भी ऐसा निर्णय करने वाले हैं;

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई एक राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार है; और

(घ) टेकचन्द समिति के प्रतिवेदन पर अब तक अन्तिम निर्णय न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). अब तक केरल के मद्य निषेध वाले चार जिलों और हरियाना के एक जिले में मद्य-निषेध समाप्त किया गया है । कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मद्य-निषेध को समाप्त करने का निर्णय किया है किन्तु इस बारे में समाचार-पत्रों के अतिरिक्त अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) मद्य-निषेध राष्ट्रीय नीति है ।

(घ) जहां तक टेकचन्द समिति की सिफ़ारिशों का वर्तमान मद्य-निषेध कानून के अच्छे क्रियान्वयन से सम्बन्ध है यह कार्य राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । राज्य सरकारों ने इन सिफ़ारिशों को अधिकांशतः स्वीकार कर लिया है और अपने आर्थिक साधनों की सीमा में उन्हें क्रियान्वित कर रही हैं । राज्य सरकारों से मद्य-निषेध-हीन क्षेत्रों में मद्य-निषेध लागू करने की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित कराना सम्भव नहीं हो सका किन्तु यह अभी तक विचाराधीन है ।

Modi Spinning and Weaving Mills, Modinagar

6836. Shri Umanath:
Shri Jyotirmoy Basu:
Shri C. K. Chakrapani:
Shri E. K. Nayanar:
Shri K. M. Abraham:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the workers of the Modi Spinning and Weaving Rayon and Silk Mills, Modi Nagar (U.P.) are not paid wages on account of compulsory closures in accordance with the provisions of the payment of Wages Act;

(b) if so, since when the amount has not been paid and the total amount involved; and

(c) the action taken by Government thereon?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) to (c). The matter falls in the State sphere. The Central Government have no information.

दिल्ली पालिटेक्निक में दाखिला

6838. श्री रामावतार शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या शिक्षा मंत्री 12 जुलाई 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5375 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर दिल्ली पालिटेक्निक में दाखिला देने की रियायत को सरकार का विचार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को भी देने का है;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां तो क्या यह रियायत चालू वर्ष से दी जायेगी ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) अनुसूचित जातियों/कबीलों को रियायत संविधान में निर्धारित राज्य नीति के निदेशक तत्वों के अनुसार है । भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों/वार्डों का मामला एक अपवाद है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।